

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 16/05/14

क्रमांक 718/सीसी/38/14 :: मान0 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर मुख्यपीठ, में एसोशियशन ऑफ प्रायवेट अन-एडेड टीचर ट्रेनिंग मॉयनॉरिटी विरुद्ध म0प्र0 शासन द्वारा दायर याचिका क्रमांक 7114/14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.5.2014 में मान0 उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नवत निर्देश दिये हैं :-

In view of the above, it is directed that for the current academic session 2014-2015 counseling shall be held strictly in accordance to the previous academic session 2013-2014 and deviation made for the institute in question for the current academic session 2014-2015 shall not be implemented till final decision of this petition. Apart from the aforesaid, the remaining time schedule fixed by the respondents shall continue to remain in operation and there shall be no deviation for the same.

List the matter now after the vacation and in the meanwhile, the respondents may file their return.

अतः मान न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत गत सत्र के अनुसार ही मात्र सत्र 2014-15 हेतु अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करें। उक्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मान0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधधीन रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

16/05/14

उप सचिव,

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर

पृ०क्र० १११ / / सीसी / 38 / 14
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16/05/14

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म०प्र०।
4. महासचिव, एसोशियेशन ऑफ प्रायवेट अन-एडेड टीचर ट्रेनिंग मॉयनॉरिटी, 76-77-78, इंडस इम्पीयर, शाहपुरा, भोपाल-462039. काउंसलिंग शेड्यूल का पालन अल्पसंख्यक संस्थाओं से सुनिश्चित कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. भूतल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/05/14

उप सचिव,

म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग